

GOVT. NAVEEN COLLEGE BORI, DIST. DURG (C.G.)

2.4.1

- 1) Copy of Sanction letters indicating number of posts.
- 2) List of full time teachers appointed along with their departmental affiliation
- 3) Appointment letter of all the full time teachers

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)

/03 / आउधि / ब.योजना / 2013

रायपुर दिनांक 08.07.2012

प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय बोरी जिला- दुर्ग (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय बोरी जिला दुर्ग में नदीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंत करने

छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र व्यमांक /2556/एफ 3-65 / 2011 / 38-1 रायपुर, दिनांक 05.07.2012

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार बोरी जिला -धमतरी में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है । महाविद्यालय में स्नातक स्तर प्रर् कुला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय चालू शिक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 पदों के सूर्जन की स्वीकृति वित्त विभाग की यू. ओ. क्मांक 269/1001007/वित्त विभाग/ब-3/2012, दिनांक 29.06.2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदो का वर्गीकरण विवरण निम्नानुसार है :-

दह	पदनाम	पदसंख्या	ो वेतनमान
शैक्षणिक प्द			
1	प्राचार्य	01	37400-67000 AGP 有 10000
2	सहायक प्राध्यापक	03	15600-39100 AGP ₹ 6000
	(अ) विज्ञान संकाय(बायो.) (रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पत्तिशास्त्र)		
	(इ) कला संकाय (हिन्दी अंग्रेजी समाजशास्त्र अर्थशास्त्र ,भूगोल)	05	15600-39100 AGP ₹ 6000
14. 1	(द) दाणिज्य संकाय	02	15600-39100 AGP 有 6000
अशैक्षणिक पद			
3	सहायक ग्रेड-1	01	5200-20200 AGP ₹ 2800
4	सहायक ग्रेड-2 •	01	5200-20206 AGP ₹ 2400
5	सहायक ग्रेड-3.	01	5200-20200 AGP ₹ 1900
√ 6	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	5200-20200 AGP 表 2400
970	भृत्य	02	4750- 7440 AGP ₹ 1300

उपरोक्त व्यथ विलीय वर्ष 2012—13 भाग संख्या —44 —उच्च शिक्षा — 2202— सामान्य शिक्षां--(03)—विश्वविद्यालय और उस्म शिक्षा—(103) — सरकारी कालंज और संस्थान्-0101 —गज्य आयोजना (सामान्य) —(798)—कटम विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अन्तर्गत विकलनीय होगा । प्रत्येक संकाय में 60 सीट की अनुमति प्रवान की जाती है ।

> अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.) रायपुर विनांक 08.07.2012

्रातालापे :- / 03 / आवशि / योजना / 2012

11-7-2012

ा विशेष सहायक, मा मंत्री जी, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर !

- प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके यू ओं क्रमांक 269 /1001007 /वित्त विभाग/ब-3/2012, दिनांक 29.06.2012 के संदर्भ में
- महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,
- 4. कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)
- अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं संबंहता / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- जिला कोशालय / उपकोषलय अधिकारी, जिला दुर्ग (छ.ग.)
- कुल सचिव, पं. रिटेशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय रावपुर की और नवीन महाविद्यालय को संबद्धता प्रवान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु
- संयुक्त संचालक(राजपत्रित/अराजपत्रित) उच्च शिक्षा संचालनालय ।
- सबीधेत अग्रणी प्राचार्य, शासकीय पी. जी. महाविद्यालय दुर्ग संबंद्रता हेतु तत्काल कार्यदाही करना सुनिश्चित करें ।
- 16. अंबंधित प्रमारी, प्राचार्य, शासकीय पी. जी. महाविद्यालय दुर्ग संबंद्वता हेतु तत्काल कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें ।

11. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालव, रायपुर

... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवृही हेनु प्रेषितः।

े अपर्य संदाह्मक उच्च शिक्षा संचालनालय संदपुर V (इ.स.)

छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग ःगंत्रालयः: महानदी भवन, नया रायपुर

证明证 (明 3-44/16/38-1

सयपुर, दिनांक 12/08/2016

. . आयुवता उच्च शिक्षा रांचालनालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर

मुख्य बजट वर्ष 2016-17 में प्रावधान अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में श्नातक रतर पर नवीन विषय एवं पद सृजन की स्वीकृति।

आपकी टीप कमांक 11/आ.च.शि/योजना 2016।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, बजट वर्ष 2016-17 में मांग संख्या कमांक 44, 41 एवं 64 . अंतर्गत प्रावधान अनुसार निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में निम्नानुसार स्नातक स्तर पर उनके ः रामक्ष दर्शाए पाठ्यकम/नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने तथा सहायक प्राध्यापक, प्रयोगशाला ाकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक के पद सुजन की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. मांग संख्या ४४ :-

ήν.	संसंविद्यालय का नाम	पार्यक्रम	विषय		्रमुजित पद		
				सहायक	प्रयोगशाला	प्रयोगशाला	
		Maria Care	Salar Salar Salar	प्रक्षावस	: तकनीरियन	ं परिचारक	
1	2	3	4	5	6	7	
1	शारा शहीव बापूराव	बी.एस.सी.	रसायगशास्त्र	1	*		
	भहाविद्यालय, सुकगा.	an agreement of	प्राणीशास्त्र	1 1	2	2	
	जिला -सुकमा		वनस्पतिशास्त्र	1			
		1	भौतिकशास्त्र	1		- Albert	
			गणित	1		12	
2.	शासा. गजानंद माधव मुक्तिः	ંદ્રી, ણસાસી.	रसायनशास्त्र	1			
	योध गहाविद्यालय, सहरापुर		प्राणीशास्त्र	.1	2	. 2	
	लोहारा, .जिला-कबीरधाम	1.	धनस्पतिशास्त्र	1			
		1 - 1 - 2 - 1 - 1	भौतिकशास्त्र	1			
		1	गणित .	1			
		श्री कॉम	্রাণিত্য	3			
5	शास राजीव गांधी	धी.एस.सी.	रसायनशास्त्र	1			
7 -4	कला/वाणिज्य महाविद्यालय,		प्राणीशास्त्र	, 1	2	2	
	लोस्मी, जिला-मुंगेली		वनस्पतिशास्त्र	1		4	
		To the T	भौतिकशास्त्र	1		1	
		1	गणित	1	1	4	100
4.	शास. गिनीभाता कन्या	बी.एस.सी.	रशायनशास्त्र	1 . 1		1 -	1
	महाविधालय, बलौदाबाजार,		प्राणीशास्त्र	1	2	2	
	जिला–वलौदाबाजार		वगस्पतिशास्त्र	1	1	1 .	1
			भौतिकशास्त्र	1	4	1	
) 4	Angel Mills and Angel Sanga	- In regardence	गणित	1 1	1.		

निरंतर.

ō	महाविद्यालय का नाम	पात्यक्रम	विषय	राहायक प्राध्यापक	सृजित पद प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिवारक
	2	3	4	5	6	7
	शाराकीय स्व. दौलतराम महाविधालय, कसडोल, हिला-बस्तैदावाजार	बी.एस.सी.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	1	1
18	शास गजानंद अग्रवाल पी.जी.	वी.एस.सी.	बायोटेक्नोलॉजी	1	1	1
· P	जिला-बलीदाबाजार शाराकीय धनश्यास सिंह मुप्त	थी.एस.सी.	बायोटेक्नोलॉजी	1	1	1
	पी.जी. महाविद्यालय, बालोद, जिला-मालोद	बी.ए.	भूगोल	1		
20	शासकीय डी.के. पी.जी.	वी.एस.सी.	बायोटेक्नोलॉजी	1	1	1
21	महाविद्यालयः, बर्लीदायजारः, जिला-चलीदाबाजार भारतः, द्वंदिरा गांधी	वी.एस.सी.	माईकोबायोलॉजी			1
1-21	गहाविद्यालय, वैशालीनगर, जिला-दुर्ग	41.50.01.	कम्पुटर साईस	1		1
22	शारांकीय विश्वनाध्य यादव भागरकर ज्ञातकोत्तर	बी.एस.सी.	बायोटेक्गोलॉजी	1		- 1
25	महाविधालय, दुर्ग, जिला-दुर्ग वी.स.एस. शश. स्नाराकीतार महाविधालय, यमवरी, जिला-धमारी	बी.एस सी.	सूबना प्रौद्योगिकी			1
12.4	शानकात धरीक्यरी संगतकीत्वार	थी एपर परे.	शुक्रमा प्रोक्षीनिकी	4 1	4 7 7	4
	ा महाविद्यालय, दर्तनाङ, गण्यालय	areconstituting as a	ाकम्युटर साईश	ener 1program		
25	जिला-तिवाडा शाराकीय ईशायवेन्द्र सव रनालगोरसर विज्ञान महाविद्यालय, विलारापुर, जिला-बिलासपुर	बी.एस.सी.	चायोटेक्नोलीजी	1	_	
26	शासकीय महाविद्यालय, सवन, जिला-बलोयानाजार	बी.एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1	1	1
27	शासकीय महाविद्यालय, बेरला, जिला-बेगेतरा	ચી.ए.	अर्थशास्त्र	1	-	
Ville	्रशासः नवीन महाविद्यालयः, बोरी, जिला-दर्ग	ची,एस.सी.	गणित भौतिकशास्त्र	1	-	
29	शासः महाविद्यालयः, गोवरा गवाधाराः, जिला–सम्बद्धरः	वी.एस.सी.	गणित गौतिकशास्त्र	1	. 1	1.
30	शासः महाविद्यालयः खुर्सीपारः जिला–दुर्गः	सी.ए.	संगाजशास्त्र	1	-	-
31	शास महाविद्यालय चिरमिशे, जिला-कोरिया	थी.सी.ए.	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	1	1	1
			योग	89	37	37

उपरोक्तानुसार गांग संख्या ४४ के अंतर्गत कुल 31 शासकीय महाविद्यालयो में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय प्रारंग करने हेतु कुल 89 सहायक प्राध्यापक, 37 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 37 प्रयोगशाला परिवासक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निरंतर...



छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग :: मंत्रालय :: महानदी भवन,नयां रायपुर

क्रमांक एफ 3-56/2015/38-1

रायपुर, दिनांक 22/08/2017

आयुक्त,

उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन,

नया रायपुर। वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर कक्षायें विषय:-

प्रारंभ करने बाबत।

आपकी टीप कमांक 52/आउशि/योजना नवीन विषय/2017, दिनांक 19.05.2017 संदर्भ :--

राज्य शासन, एतद् द्वारा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्यावार स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन कक्षायें / विषयों को निम्नलिखित तालिका में दर्शित महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित कक्षाएं / विषय प्रारंभ करने की अनुमित के साथ-साथ स्तम्भ क्र. 4 में दर्शित पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है :--

मांग संख्या - 44

丣.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
1	2	3	4	5
-	शासकीय महाविद्यालय भखारा, जिला	एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	01	25
1	धमतरी (छ.ग.)	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	25
2	संत गुरू घासीदास शासकीय स्नातको. महावि. कुरूद जिला धमतरी	एम.एससी. बायोटेक्नालॉजी	01	30
3	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय कोटा, जिला बिलासपुर	एम.ए.अंग्रेजी	01	30
4	शासकीय जे.यो.छत्तीसगढ़ पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. रसायनशाशास्त्र	01	30
C		एम.एस.सी. मानव विज्ञान	01	20
		एम.एस.सी.भौतिकशास्त्र	01	20
5	शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार,	एम.ए राजनीतिशास्त्र	01	30
	भिलाई, जिला-दुर्ग	एम.कॉम	01	· 25
3		एम.एस.सी.गणित	01	20
6	शासकीय केएमटी. कन्या महाविद्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़	एम.ए. मनोविज्ञान	01	20

C1(L241)a

7	शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	20
8	शासकीय रामानुजप्रताप सिंहदेव पी.जी. महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	25
9	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय	एम.एस.सी.रसायनशास्त्र	01	25
10	सूरजपुर	एम.एस.सी.वनस्पतिशास्त्र	01	20
Wes	पिथौरा, जिला महासमंद	एम.ए. अंग्रेजी	01 .	30
1-1	मार्गा गुलाव, बारा जिला दर्ग	एम.कॉम.	01	20
12	शासकाय स्व. चन्दुलाल चंद्राकर महाविद्यालय पाटन जिल्ला दर्ग	एम.एस.सी. गणित	01	30 25
13	रासकाय महाविद्यालय आरंग जिला रायपुर	एम.ए. अर्थशास्त्र	01	30
4	शासकीय महाविद्यालय देवभोग, जिला गरियाबंद	एम.ए. हिन्दी	01	30
5	शासकीय महाविद्यालय गणनियः र	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	01	25
	1,417014	एम.कॉम	01	, 25
6	शासकीय महाविद्यालय सारंगढ़, जिला			,
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	01	30
	7 11 11 11 W. W.	एम.एस.सी. रसायन	01	20

मांग संख्या – 41

 . 5	शासकीय महाविद्यालय भानपरी जिल्ला	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत प्राध्यापको की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
2		एम.ए. समाजशास्त्र एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	01	30
	शासकीय महावि. बरपाली जिला कोरबा	एम.कॉम	01	20
3	वातकाव लाल भ्याम बाह्य मन्त्रिक	एम.ए. अंग्रेजी	01	20
	ग्रेर, जिला सार्वनाट्याच	समाजशास्त्र	01	30
4	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय		01	20
5	भोपालपट्नम, जिला बीजापुर शासकीय महाविद्यालय कुनकुरी, जिला जशपुर	एम.ए.राजनीतिशास्त्र	01	25
	शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर	एम.ए. भूगोल एम.ए. हिन्दी	01	25
	131	एम.एससी. रसायनशास्त्र	01	30
ांग :		KANISHANIY	01	20

मांग संख्या – 64

豖.	शासकीय महाविद्यालय का नाम		स्वीकृत	0
1	शासकीय महाविद्यालय लवन, जिला बलौदाबाजार	स्वीकृत विषय/ कक्षा	प्राध्यापको की संख्या	स्वीकृति छात्र संख्या
_		एम.ए. हिन्दी	01	30

	शासकीय नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर			
1-	। (सतगगा), जिला—मंगेली	एम.ए. अंग्रेजी	01	30
2	शासकीय नवीन महाविद्यालय पामगढ़,	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	30
3	जिला–जांजगीर–चांपा	एम.ए. अंग्रेजी	01	25
	2.00 N	एम.ए. राजनीतिशास्त्र	01	30

1. उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यकम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यकम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जबाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को "ई मेल" से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।

2. जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम कासंचालजन जनभागीदारी अथवा स्व-वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2017–18 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अन्तर्गतम संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/

स्व-वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जायेगा।

3. स्वीकृति जारी होने में विलम्ब को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि, संबंधित महाविद्यालय में उपरोक्त विषय/संकाय/पाठ्यकम को इसी सत्र 2017–18 से प्रारंभ किया जाए तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये दिनांक 06–09–2017 तक की तिथि निर्धारित की जाती है।

4. प्रत्येक महाविद्यालय के नाम के समक्ष दिये गये विषय में कॉलम संख्या 5 में दी गई संख्या प्रवेश हेत् निर्धारित है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> > (दुर्गा देवांगन) अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग रायपुर, दिनांक /08/2017

कमांक एफ 3-56/2017/38-1 प्रतिलिपि :-

1 निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर,

2 मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ०ग० शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय ,नया रायपुर,

3 अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,

4 संबंधित कलेक्टर जिला.....

5 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,

6 क्षेत्रीय अपर संचालक,बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर, छ.ग.,

७.ग.

कुल सचिव, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर/दुर्ग/पं. रिवशंकर शुल्क विश्वविद्यालय छ०ग०,

की ओर सूचनार्थ प्रेषित,

9 आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ः मंत्रालयः महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 3-4/2018/38-1

रायपुर. दिनांक 🥎 / 08 / 2018

प्रति,

आयुक्त,

उच्च शिक्षा संचालनालय,

इंद्रावती भवन,

नया रायपुर।

विषय:-

प्रदेश के 35 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय/

विषय/पाठ्यक्रम प्रारम करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति वाबत्।

आपकी टीप पं. कमांक 19/आउशि/योजना/नवीन/विषय/2018- 9 दिनांक

31/05/2018

उपरोक्त विषयार्न्तगत संदर्भित टीप के परिपेक्ष्य में 35 शासकीय रुनातकोत्तर महाविद्यालयों में सन्न 2018—19 में नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है जो निम्नानुसार है :--

मांग संख्या-44-राज्य आयोजना सामान्य

महाविद्यालयों की संख्या-25

Þ. '	महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत पाट्य	स्वीकृत पाड्यकम /विषय/सीट संख्या .				
		पार्यकम	विषय	सीट	प्राध्यापक		
1	2	, 3	4	5	6		
*	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान	एम.एस.सी.	माङ्कोबायोलॉजी	30	1		
	महाविद्यालय, रायपुर जिला–रायपुर	एम.एस.सी.	सूचना प्रौद्योगिकी	- 30	- 1		
	शासकीय दूव महिला महाविद्यालय रायपुर	-एम.ए.	लोक प्रशासन	25	1 2		
	जिला रायपुर	पीजी इन यूमन स्टडीज	जेण्डर इशू (वूमन स्टीज सेंटर के अन्तर्गत)	30			
		पीजी डिप्लोमा इन साईकोलाजीकनगाईडेंस एवं काउंसिलिंग	कांउसिलिंग एवं गाईडेंस (साईकोलोजीकन विमाग के अन्तर्गत)	30	-		

C1(1,438)a

.3	शासकीय डी.वोपी. जी. महाविद्यालय	एम.एस सी	वनस्पतिशास्त्र	30	1 To A Constitution
Top State St	बलोदाबाजार 	एम.एस.सी	सूचना प्रौद्योगिकी	30	1
. 4	शासकीय महाविद्यालय	एम,एस.सी	प्राणीशास्त्रः	25	1
		एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	25	1
5	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय	Ç4.Ψ.	समाजशास्त्र	30	1
	गरियाबन्द	ुपम् क्वीम	वाणिज्य	30	1
6	शासकीय महाविद्यालय वागवाहरा		अर्थशास्त्र	30	1
-	शासकीय	एग.एस.सी	रसायनशास्त्र	25	1
7	महाविद्यालय सरायपाली	एम.एस.सी	रसायनशास्त्र	30	1
8	शासकीय वी.सी एस. पी.जी. महाविद्यालय धमतरी	एम.एस.सी	प्राणीशास्त्र	30	1 1
	् वनसर्	एम.एस.सी	भौतिकशास्त्र	30	1
Company of		एम.एस.सी	सूचना प्रौद्योगिकी	30.	
9	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी	रम.ए	राजनीतिशास्त्र	36	1
10	शासकीय नहीन	एमं ए	समाजशास्त्र	30	1
A SOURCE	महाविद्यालय खुर्सीपार	्एम एस सी	रसायनशास्त्र	30	1
		एम.ए.	अर्थशास्त्र	30	1
10	शासकीय महाविद्यालय	एम.ए.	हिन्दी	30	-1
12	्यारा आसकीय	एम.ए.	समाजशास्त्र	30	
13	गहाविद्यालय अर्जुन्दा शासकीय नवीन	एम.एस.सी	गणित	25	1
in Carross	महाविद्यालय बेरला	एम.एस.सी	भौतिकशास्त्र	30	Section and the section of
		VH.V.	हिन्दी	30	-

CI(1.439)a

			महायोग	***************************************	70	1
			योग		14	
	भैयाथान	एम.ए.	राजनीतिशास्त्र	30	1	
	आरा शासकीय महाविद्यालय	एग.एस.सी	वनस्पतिशास्त्र	30	1	
	शासकीय महाविद्यालय	देग द	इसिहास	40.32	1	1
	I so the dead	एम,एस.सी	माईकोयायलाजी!	30	1	-
,	शांसकीय विजयभूवण सिहदेय कन्या महाविद्यालय जशपुर	एम.एस.सी	वनस्पतिशास्त्र	30	1	7

पाट्यकर्मों में प्रवेश हेतु अतिम तारीख 31-08-2018 होगी । यह स्वीकृति वित्त विभाग यू०ओं० कमाक एफ 2018-38-01283/व-3/चार, दिनांक 20-02-2018 द्वारा दी गई सहमित अनुसार जारी की जा रही है ।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> > अवर सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय

पुक्रमांक एफ 3-4/2018/38-1 प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 0 3/08/2018

निज सहायक, मान, मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपूर,

- मुख्य सचिव के उप सचिव छ०ग० शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छ०ग०शासन, उच्च शिक्षा विभाग गंत्रालय, नया रायपुर,
- क्रलेक्टर जिला
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
- संबंधित प्राचार्य.....

की ओर सूचनार्थ प्रेपित,

- समस्त कुल सचिव छत्तींसगढ़.
- आदेश_फोल्डर-|----

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय

NUMBER OF SANCTIONED POSTS YEAR WISE

S.No.	Department	Sanctioned post									
	_	2016-17 2017-18		8	8 2018-19		2019-20		2020-21		
		Asst. Prof.	Prof.	Asst. Prof.	Prof.	Asst. Prof.	Prof.	Asst. Prof.	Prof.	Asst. Prof.	Prof.
1.	Hindi	01	-	01	-	01	-	01	•	01	-
2.	English	01	-	01	•	01	-	01	-	01	-
3.	Geography	01	-	01	•	01	-	01	-	01	-
4.	Sociology	01	-	01	-	01	01	01	01	01	01
5.	Economics	01	-	01	-	01	-	01	-	01	-
6.	Chemistry	01	-	01	-	01	-	01	-	01	-
7.	Botany	01	-	01	-	01	-	01	-	01	-
8.	Zoology	01	-	01	-	01	-	01	-	01	-
9.	Physics	01	-	01	-	01	-	01	-	01	-
10.	Maths	01	-	01	-	01	-	01	-	01	-
11.	Commerce	02	-	02	01	02	01	02	01	02	01
	Total	12		13		14		14		14	

LIST OF FULL TIME TEACHERS IN SESSION 2016-17

S.No. Department		Name of Teacher	
1.	Hindi	Dr. Asha Deewan	
2.	English	Dr. Sheela Vijay	
3.	Geography	Mrs. Vaidehi Sharma	
4.	Sociology	Dr. Girish Prasad	
5.	Economics	Ms. Karishma Deshmukh	
6.	Chemistry	Mrs. Meena Chakraborty	
7.	Botany	Dr. Sangeeta Devi Sharma	
8.	Zoology	Mr. Ewraj Janghel	
9.	Physics	Mr. Manish Das Manikpuri	
10.	Maths	Ms. Nikita Maniyar	
11.	Commerce	Dr. Sumeet Agarwal	
		Dr. Manjulata Sao	
	Total	12	

NUMBER OF SANCTIONED POSTS IN SESSION 2017-18

S.No.	Department	Name of Teacher
1.	Hindi	Dr. Asha Deewan
2.	English	Dr. Tapas Mukherjee
3.	Geography	Mrs. Vaidehi Sharma
4.	Sociology	Dr. Amarnath Sharma
5.	Economics	Dr. Hansraj Thakur
6.	Chemistry	Mrs. Meena Chakraborty
7.	Botany	Dr. Sangeeta Devi Sharma
8.	Zoology	Mrs. Kavita Thakur
9.	Physics	Mr. Manish Das Manikpuri
10.	Maths	Ms. Dolly Dewangan
11.	Commerce	Dr. Sumeet Agarwal
		Dr. Manjulata Sao
		Mr. Samir Jaiswal
	Total	13

NUMBER OF SANCTIONED POSTS IN SESSION 2018-19

S.No.	Department	Name of Teacher
1.	Hindi	Dr. Asha Deewan
2.	English	Dr. Tapas Mukherjee
3.	Geography	Mrs. Vaidehi Sharma
4.	Sociology	Dr. Amarnath Sharma
5.	Economics	Dr. Hansraj Thakur
6.	Chemistry	Mrs. Meena Chakraborty
7.	Botany	Dr. Sangeeta Devi Sharma
8.	Zoology	Mrs. Kavita Thakur
9.	Physics	Ms. Pinti
10.	Maths	Ms. Dolly Dewangan
11.	Commerce	Dr. Sumeet Agarwal
		Dr. Manjulata Sao
		Mr. Samir Jaiswal
	Total	13

NUMBER OF SANCTIONED POSTS IN SESSION 2019-20

S.No.	Department	Name of Teacher	
4	TT' 1'	D 4.1 D	
1.	Hindi	Dr. Asha Deewan	
2.	English	Dr. Tapas Mukherjee	
3.	Geography	Mrs. Vaidehi Sharma	
4.	Sociology	Dr. Amarnath Sharma	
		Dr. Shreshtha Shukla	
5.	Economics	Dr. Hansraj Thakur	
6.	Chemistry	Mrs. Meena Chakraborty	
7.	Botany	Dr. Sangeeta Devi Sharma	
8.	Zoology	Mrs. Kavita Thakur	
9.	Physics	Ms. Pinti	
10.	Maths	Ms. Dolly Dewangan	
11.	Commerce	Dr. Manjulata Sao	
		Mr. Samir Jaiswal	
		Mr. Devesh Gajpal	
	Total	14	

NUMBER OF SANCTIONED POSTS IN SESSION 2020-21

S.No.	Department	Name of Teacher	
1.	Hindi	Dr. Asha Deewan	
2.	English	Dr. Tapas Mukherjee	
3.	Geography	Mrs. Vaidehi Sharma	
4.	Sociology	Dr. Amarnath Sharma	
		Ms. Vinita Meshram	
5.	Economics	Dr. Hansraj Thakur	
6.	Chemistry	Mrs. Meena Chakraborty	
7.	Botany	Dr. Sangeeta Devi Sharma	
8.	Zoology	Mrs. Kavita Thakur	
9.	Physics	Ms. Pinti	
10.	Maths	Ms. Dolly Dewangan	
11.	Commerce	Dr. Manjulata Sao	
		Mr. Samir Jaiswal	
		Ms. Khushboo	
	Total	14	

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग :: मंत्रालय :: नया रायपुर --- 0 --:: आदेश ::

पंजित्त डाष्ट्र- से.

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3965 /3196/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2052/95/2010/21/चयन, दिनांक 29.08.2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर वेतन बेंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000/- में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालाविध की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :--

<i>अ.</i> क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमाक
1	2	4	5
1	धर्मेन्द्र सिंग गुप्ता कबाड़ी के पीछे, पुराना बाजार, दल्ली राजहरा, जिला—दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड 491228	शासकीय रानी रश्मिदेवी महाविद्यालय खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	अनारक्षित
2	मनोज कुमार साहू व्याख्याता शास.आदर्श ज.मा.वि.सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड– 495689	शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया, जिला–रायगढ़	अनारक्षित
3	निवृत्ति जेम्स ए/15/शैलेन्द्र नगर अमेरी पोस्ट-मंगला, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़	शासकीय डॉ.भवर सिंह पोर्ते महाविद्याल पेण्ड्रा, जिला– बिलासपुर	अनारक्षित महिला
	संजय कुमार धनवानी एफ – 11, श्रीराम प्लाजा, सिटी कोतवाली के पास, गोलबाजार, बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड– 495001	शासकीय महाविद्यालय सनावल, जिला— बलरामपुर	अनारक्षित
5	नीलम त्रिवेदी द्वारा श्री सनत कुमार त्रिवेदी ईदगाह रोड, जूनी लाईन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय मरवाही, जिला– बिलासपुर	अनारक्षित महिला
	मनोज कुमार शर्मा द्वारा श्री सीताराम शर्मा क्लब पारा पंचशील वार्ड-19 पो.महासमुंद, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493445	शासकीय सुखराम नार्ग महाविद्यालय, नगरी सिहावा, जिला–धमतरी	अनारक्षित

why istila

क्रमश...2

1	10	//
//	.,	

	1/4//	पदस्थापना स्थल क	। चयन रिमार्क
V.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र	नाम	5
5 .	व्यवहार का पता	4	य अनारक्षित
1		शासकीय महाविद्याल	य अगरायाः
-	छन्त् लाल तारक	हेत्रभाग,	
28	मानसः चौक, गरियाबंद	जिला-गरियाबंद	
	जिला-रायपुर		- जिल्ला
	पिन कोड- 493889	शासकीय राजीवलोच	
29	मोहन लाल वर्मा	महातिहालिय सीजः	7,
2.0	गाम् नर्ग पोष्ट-पटेवा	जिला-गरियाबंद	
	व्हाया-राजिम, तहअभनपुर		
	जिला-रायपुर		
	<i>छत्तीसगढ़</i>		लय अनारक्षित
	पिन कोड- 493885	शासकीय महाविद्या	लय । जा
30	सुनीत न्हुमार	बोरी, जिला-	
	द्वारा श्री जे.पी.अप्रवाल	बुग	
	रिसाली सेक्टर, मिलाई		
	जिला-दुर्ग		
- Carlo	पिन कोड- 490006	An neille	ालय अनारक्षित
		शासकीय महाविद्य ोली, सरगांव, जिला-मु	
3	वड़ा बाजार, मिट मार्केट के पास, मुग	ोला, । सरगाव, गणला उ	
1	जिला-बिलासपुर		
1	छत्तीसगढ़		
	पिन कोड- 495334	शासकीय राजीव	गांधी अनारक्षित
1			न्य
1	नाग श्री खेमलाल देवागन पुराना वस	महाविद्यालय ल	गरमा
	कुरूद, जिला-धमतरा	जिला-मुगेल	नी
-	। <i>छत्तीसगढ</i>		
1	पिन कोड- 493663	शासकीय महावि	द्यालय अनारक्षित
T	33 डॉ. मंजुलता साव	बोरी,	माहला
X	द्वारा डॉ.जे.एल.साहू जवाहर नगर, क्वा.नं. 88, धमधा रोड	इ दुर्ग, जिला-दु	7
	पिन कोड- 491001		
	199 4018-40100	——————————————————————————————————————	ंडाध्र अनारक्षित
-	34 अमित कुमार तिवारी 5	शासकीय गु मिविल महाविद्यात	3
	34 अमित कुमार तिवार। द्वारा श्री हरिनारायण तिवारी, 5	सागर कोण्डागांव,	
	द्वारा श्री हरिनारायण तिपात, उ लाईन, सिंधी धर्मशाला के पीछे,	कोण्डा	
	(mm) 91)		
	पिन कोड- 470001	शासकीय महा	विद्यालय, अ.पि.वर्ग
	25 मगेश कुमार	दीपका, जिल	ग-कोरबा
	गाम-झगरहा		
	नोज्य रिसदी		
	जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन कोड- 495683		
	पिन कोड- 495683	शासकीय मह	हाविद्यालय अ.पि.वग
	36 भुवनेश्वर रेल्वे क्रासिंग	के पास, पण्डातराई,	जिला –
	36 भुवनेश्वर बुनियाद नगर, रेल्वे क्रासिंग जगदीश सायकल स्टोर्स के पीछ	है, भनपुरी, कबीर	श्चाम
	रायपुर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493221		

ghallel 11/2

31. \$\overline{\phi}\$.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
70	प्रेम प्रकाश कुजूर पुलिस चौकी नैला, पो.आ.—जांजगीर, जिला—जांजगीर—चांपा, छ०ग०, पिन कोड-495668	शासकीय महाविद्यालय राजपुर, जिला— बलरामपुर	अनु. जनजाति
71	कु0 अंजूलता अनंत द्वारा—श्री द्वारिका प्रसाद, जायसवाल, पुरान बस स्टैण्ड पाली, जिला—कोरबा, छ0ग0	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़, जिला-रायगढ़	अनु.जाति महिला
72	सरिता देवी सेठ बसंत लाल मार्ग, महुर कोरियर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा, जिला—सरगुजा, छ०ग० पिन कोड—497001	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा	अनु. जनजाति महिला
73	अनुराधा दीवान हेमूनगर, केडिया हाऊस के पीछे, बिलासपुर, छ०ग० पिन कोड-495004	शासकीय महाविद्यालय डबरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अनु. जनजाति महिला
74	श्रीमती विनीता गौतम द्वारा-श्रीमती रेशम देवी कुर्रे, कमला नेहरू कन्या छात्रावास, शहीद चौक, चाटापारा, बिलासपुर, छ०ग०, पिन कोड-495001	शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा, जिला—बेमेतरा	अनु.जाति महिला

- 1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- 2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- 3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वारथ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- 5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र

shalfrelin

क्रमश...9

फर्जी / गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथों, चित कार्यवाही, भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज / रिकार्ड एवं जानकारियों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हैतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6: शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के

समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ब्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू साभान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य धर्ते) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ०ग० सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन

योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ०ग० लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे। 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया

गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एस०के०चीघरी)

उपसचिव

3966 पृ. क्रमांक / /2012/38-1 प्रतिलिपि:- छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर, दिनांक (2/11/2012

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।

(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।

(3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।

(4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।

(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

क्रमश...10

(६) कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.)। की ओर कृपया सूचनार्भ अग्रेषित। (7) सचिव, छत्ती सगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र कमांक 2052 / 95 / 2010 / 21 / चयन, दिनांक 29.08.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ। (8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.। (9) संचालक ,जनसम्पर्क, रायपुर छ०ग० की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। (10) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.। (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। (12) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय..... ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान एत्र, सभी प्रमाण पत्रों / अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्शि को कार्यभार ग्रहण करावें। (13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला— (14) संबंधित आ माणाला हाम धार्या की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। (15) आदेश फोल्डर।

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक: 23.12.89.

क्रमांक 4142./3259/38-1/89 तंतान परिकिट में अंकित विषय/विषयों के प्रत्या शियों की मध्यप्रदेश शैथि लिक सेवा श्वाच्य शिक्षा में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थानापन स्प से आगामी आदेश तक स्पये 2200-75-2800-100-4000 के यू०जीं ति वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शतों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पदांकन उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में किया जाता है।

2/- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वैतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

3/- अग्पाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही मध्यप्रदेश लोक तेवा आयोग से वयनित होना आवश्यक होगा। लोक तेवा आयोग की इस वयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति विना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4/- नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पद स्थापना के महा चिद्यालय में दिनांक । 10 जनवरी, 1990 तक निश्चित रूप से कार्यशार ग्रहण करना है।

5/- नियुक्त प्रत्याभी व्दारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

, 6/- नियुक्त प्रत्याभी को जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

7/- पूर्व में 'नियो जित प्रत्याशियों व्दारा अपने नियोक्ता श्यदि अभी कहीं तेवा में हैं, तोश व्दारा दिया गया अनाप तित प्रमाण-पत्र देना होगा ।'

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव, अवर सचिव, अवर मिधा निभाग

日の 90 4143/3259/38-1/89,

शोपाल, दिनांक 23.12.89.

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च दिहार, भ०ए०, औपाल।
- समस्त अतिरिक्त संगालन, उच्च विधाः तंपालन ताम हैधी म कार्यालय, मप्ठ ।
- 3/ तीतिहार हरगाणी है अपने एक प्रमाण पत्नी को एउनाई से सर्थातिल करती के प्रणात् की कार्यात् गृहण्य की ।
- 4/ विदेश सहायक माननीय उच्च विद्या मंदीजी, महण्या
- 5/ तंबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेता प्रशिधित :-अ- ^{*} नियुक्ता प्रत्याक्षी की जन्मतिथि, पी-एव-डी./एम-दिल-हन, को ततर,

रनाताक, हापरतेकेण्डरी के मूल प्रमाण-प्रशीशांक स्वितां धर्म माग्य के जागलीय व्याचिद्रास्त्रों के "अध्ययन अव्या से पदि होते के भूने प्राण राज्याचित वर वार्थित गृहण कराचे । सन्तिया जाति/अनुमान्ति जनजणीत सदा विदलांग प्रतासी हे सन प्रता कर के सामान कराति । वान सामान दिस्ती पुष्य में होती व सहस्रात व व माण कर समार्ण विवयन अधोहतामा करो को

ने किल मान

l — न ः ः वन्ति शिष् । १ - विद्या चित्रशे विद्याची विद्याची गर्ह । — वर्ग्यमामान्य महार्गावः अमारि/महान्। जनगरिः "जनगरिः "जनगरि सेन्ति है 5- वैधारिक पोन्यमान हाप संक्रिक स्टी/स्थातक/स्थापको लाग का प्रणांक प्राचारंक एवं पुरिकत रू दिक्सलिय में दो अंक तक हूं 6- एम- फिल-, पी-एव-डी- का पारिकांस ने जिल्ली फिरेयन विदरण 7 जीन दाई धारक/विध्या होते का प्रमान-पन्न ।

- व- दरधार्गं यह भी तुरिहिया करां कि प्रधारी ने स्नातको तसर उपराध / भी है। उपरीय उसी दिवामें ब्राप्त की है, जिसमें उसे नियुचित वा गई है। तथा हमः दिनः । यी-एन-डी- विधिल्ल है।
- त- पिंड महारियालय में एउ रिक्ट न हो एवं जो भी विसंगती हो तो भी पुन्य करें के प्रकार नुकार त्या कर पर सामकारी ताला महास रेडा ग दो के जन्में

Par 12 0 1 1 7 3 12 89 Jer Litt.

मान्तिद्व, मिन्द प्रकृति विस्ता प्रवासास

विषय-हिन्दी व्दाराः-ए०के०जेन शासिकीय महापिद्धालय, 15 - कु0 अनीता जैन पुराने रोल्ता टेक्त कार्यालय के, सारणी । येत्ला। मिके, गहाधीर गंग, भिन्ड 16. रुष्ट्री ममता भावतार, ब्यारंग, 2/10 हाउतिय कालोनी, जासकीय महा विद्यालयं, कुधीः ।धारा गन्द्रा :_ ट्याराः - स्तित्वेतः शासकीय महाविद्यालय, 17 - राष्ट्री सरिता जैन चार एन्ड इत्यनीत् नाहिबद जिन्दराइर के दास, रहर ए.आर.सागर शासाणमहाण्यान्य । परगोना उ.राज्जानगर, इन्होर . 18 • गुश्री प्रमिता पहिल्ल शासक्वन्या महाच राजगढ ३३३ रचनानगर, भीपाल 19 • राश्री अनिता तामनी शासकीयं गहः चिद्धातः पंति एम्लस्ट्रिटियेटी, u20. तथा दिवस जिवासी भुआविष्याः । गण्डलाः। YHUYOPEC = EIST-3: विधिया - लिश ट्टारा:-डीण निवारी, नेता जी, आगकी य महा विद्यालय, 21. कु0आशा तिवारी ्पयरिया । क्लिंग्सण्यः वीक, अव्हातरा सोइ, जांजगीर, क्लिसिपुर · शासकीय महाचिद्धालय, ^४ माम व प्राह्ट सहरी "22. डाएकजीलाच परेन लोधीयेड्रा । छिन्दवाड्रा चित्रः ततापुर आतकीय महाविद्यालय, ब्दारा:-एस्ट्रेश्नार्क 23. गुश्री भूज पाठक , जन्नारदेख । छिन्दवाद्याः दातजी मीटर दे पास, होइंगाना द भागी भाग, तिरंगीर चौराहा, शासकीय महाधिद्यालय, वारातियनो । वाताघाटा 24. आलोक शर्मा राशा शातकीय महा चिद्यालय, व्यारा:-एस० अटगद, 25 - दुर्गा कंगरानी अभनपुर ।रायपुर। एच-1, मातिनगर, रायार शासकीय महाचिद्यालय, व्दारा:-धी0पींगतिंह वशना ।रायपरः 26. तंजीव वर्सह हिन्दी विभाग, शासकीय एन०ई०एस०कातेन जिना रायण्ड शातकीय महातिद्यालय, ८. चेतान गउस्त कालीनी; अगर नाट मेरेक्टर 27. डाण्डरियोकर जिलेटी अर्थ परिस्थ हर्ग्यो, स्थला दासरीय स्थाप स्थापत्रम् महारू हमीर नगर, रिकारिक धरापारः 28. गुभी प्रसिता ठाकुर The end both the early इत्सिह

विषय - हिन्दी • शाराकीय महा चिद्यालय, राश्री आरती द्वे चन्देल का मकान गास्टर कालोनी, आगरा वदनायर ।धार। षोग मंचिरम, चुनागर् गेट ः शातकीय क्रमा महाठः थः जन्त्य गोह्यामी देत्त • मोनत पथ, दतिया शासकीयं कन्याः महा विद्यालय, उ. ्मुभी अमीता जैन पाटनी भवन, माधवांज चौक, वांवोडा गुना। लगकर, ग्या लियर शातकीय महाचिद्यालय, व्दारा:-आर०एन०एत0शर्मा, 4 . : अंज्नी कुमार वंगमगंज । सम्बोना जिला हक्ल रांची, जिना रांगी। पिहार। 123, विवेकानन्द कालोनी, शासकीय महाविद्यालय, सुभी साधना निर्भप व्हनगर ।उजीन। प्रिगंज, उज्जैन 6. राभी की तिमाला सदापल, वार्ड नं012, व्रह्मनी वाजार, शासकीय महाविद्यालय, भार्तिष्या, महता जिला - भण्डला 7. सुश्री राजकुमारी गुप्ता किरन स्टुडियो, महात्म गांधी, ज्ञातकीय महाचिद्यालय, मार्गः, शाजापुर् . : जीरापुर (राजग्द। शासकीय कन्याः महाचिद्यालय, व्याख्याता, शासा यर 8 : परमानन्द मिश्रा तैकेण्डरी त्क्ल, जिला तिवनी, वालाघाट . १.१. मुश्री आरती देवी द्वा, त्याख्याता, शतकीय हायर, शासकीय महाविद्यालय, शहडोतं तेकेंग्डरी त्दल,पन्ना ाण्याना । १९४५ हिल्ली राज्युमारी प्रार्गा, 69/5, ग्रेसिंग स्टाष कालोनी, जाराकीय महाचिद्यालयं, चिडलाग्राम नागदा, ।उज्जेनः शुजातपुर ।शाजापुर। शातकीय महा निद्यालय, भीनगर-गाडी धर ा। त्रिश्री शोधना जैन : रामपुर नैकिन । श्रीधी। स्टेट वैंक अभ्य इंग्डिया के तामने ; टीकमण्ड 12. सुन्नी नंदनी तिवारी, 512, कस्तूरवा नगर, रतनाम ज्ञासकीय महा विद्यालय, - शासकीय महा विद्यालय, 305, ति चित ताईन, ... । अ : प्रमोद पाठक तरेली । रायतेना नर्यतंह गार्नः जास्त्र शासकीय महाविद्यातम, अंग्रहार विकास करता है। नवस्तामंत स्तीतोरः 14. सुष्री भोभना जोगन एत्रावसाईक्सीलयम के पींच, रागीन रोत, नता तुनात नगर, भो धाल

- 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर
- 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयाविध के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश
- 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। 2/

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(श्रीमती दुर्गा देवांगन) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पु.क.एक 1-25/2014/38-1 प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 13 /02/2015

राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।

प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासनं, मंत्रालय, नया रायपुर।

महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

निज सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1838 ए/95/2010/चयन, दिनांक 3.11.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।

संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि (10) इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर। (12)

बोत्रीय अपर रांचालक, उच्च शिक्षा. बिलासपुर/अम्बिकापुर/जगदलपुर (छ.ग.)। (13)

संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, (14)की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों / अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला (छ ग.)। सर्व संबंधित अभिनी अभिनी अभिनी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(17) आदेश फोल्डर।

छत्तासगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

12	कु नीत् हरमुख, c/o श्री आशिष हरमुख श्री हरि निवास सुभाष नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय महमाया महाविद्यालय रतनपुर जि.बिलासपुर	पि.वर्ग
13	श्री प्रहलाद कुमार लहरी, क्वा.28—सी दीनदायाल आवासीय कालोनी हाउसिंग बोर्ड कालोनी रामपुर जिला कोरबा छ.ग. 495677		अनु,जाति.

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शतों के अधीन होगी:-

- 1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- 2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाया जाता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

 नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- 5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के मीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अविध में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी / गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज / रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
- 6. शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापित प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मंतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पांसपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
- 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (भहाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय—समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
- 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम—1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ::मंत्रालय:: नया रायपुर ः आदेशः

3989 / 3261/2012/38-1 :: राज्य शासन एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांकः २६९६ / ९५ / २०१७ / १४ / चयन, दिनांक ०४ / ०९ / २०१२ द्वारा सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद हेतुं जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" नें चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सन्यापन की प्रत्याशा में सहएयक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वंतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-

भनु.क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमाक
	2	4	5
1	संजय कुभार जैन	शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर	
	द्वारा सिद्धांत मेडिकल स्टोर बस स्टैंड, ट्शपुरनगर	महावि. जशपुरनगर,	अनारकित
	छत्तीसगढ़ पिन कोड-496331	जिला-ज्हपुर	
?	डॉ.विकास कुमार जैन		
	भी-170, देगोर नगर व्यापम के पूर्व कायां लय के बाजू	शासकीय पं०श्यान चरण शुक्ल महाविद्यालय,धन्तींवा,	अनारक्षित
	रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड-492001		
.`	: उग़शीष तिवारी,	जिला-रायपुर। शासकीय लाहिड़ी न्हाविद्यालय,	
	! द्वारा प्रो.ए.के तिवारी, तिवारी चाल,वेयर हान्स के पास,	The second secon	अनारक्षित
	राजन्द्र नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, दिन जंड-495001	चिरमिरः	
	: डॉ.दीपक सिन्हा	जिला-क रेग	
		शासकीय भानुजन,पदेव	अनारक्षित
	्न-3, ग्रीन लैंड, विशाल नगर, तेलीबांधा,	त्नातकोत्तर महाविद्य जय कांकेर,	
	रायपुर (छ.ग.)	ीला-द जर	
Υ.	डेकचन्द अग्रवाल	शासकीय लोचन प्रतः द पाण्डेय	अनारक्षित
	द्वारा श्री फलोचन्द अग्रवाल, मु.पो.बरमकेला	महाविद्यालय, 🖃 रंगढ़,	
	जेलारायगढ़, छत्तीसगढ़, पिन कोड-496551	िन्ता-राय इ	
ć	स्रंन्द्र कुमार सिन्हा	शासकीय अरविन्द न ह विद्यालय,	अनाराक्षेत
	गर्ड क्र. ०४, डोण्डी लोहार जिला-दुर्ग. इन्हीसगढ़	जेरन् <u>द</u> ल	
	ेन कोड-491771		
		शासकीय रनानुज प्रगा सिंहदेव	अनारक्षित
	त्तीय कुमार चैनी इत्ता श्री दी:आर चैनी, वाराखेली के पान राजमाठा,	स्नातक.त्तर महावेदालय,	
	्यगढ़, छत्तीरगण्ड, पिन कोड-196001	वैकुण्ठपुरः जिला रिया	

Kasay, - 3.

	श्रीमती मीना चक्रवर्ती	शासकीय एन.सी.जैन	अनारक्षित
8	प्लॉट नंबर 45/6, बलियापुरम के सामने,	महाविद्यालय, दल्लीराजहरा,	महिला
V	हनुमान मंदिर दहे पास, हनुमान नगर, तितुरडीह, दुर्ग	जिला-बालोद	
	छत्तीसगढ़ पिन कोड-491001		
		शासकीय राजीव लोचन	अनारक्षित
9	द्वारा श्री वी.आर.साह्, 54/184, स्कूल के पीछे	महाविद्यालय, राजिम,	महिला
•	कॉलेज वार्ड डंगनिया, रायपुर, छ०ग०	जिला–गरियाबंद	
7027	पिन कोड-492013		
	विद्याभूषण मिश्रा	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह	अनारक्षित
10	द्वारा मो. इकबाल हुसैन	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	97 77 (74)(7
	इंडियन होट एण्ड जूस सेन्टर,कलेक्ट्रेट रोड, रीवा,	बलौदाबाजार,	2
	(म.प्र.), पिन कोड-486001	जिला-बलौदा बाजार।	
	(4.4.), 19, 4719-400001	शासकीय पातालेश्वर	अनारक्षित
11	डॉ.(श्रीमती) किरण ठाकुर द्वारा श्री एस.के.पनिक्कर, ईदगाह चौक, हूनी लाईन	महाविद्यालय, मस्तुरी,	अनारावात महिला
			गारुला
	बिलासपुर. छत्तीसगढ़, पिन कोड-495001	जिला-बिलासपुर।	
12	सरोज शर्भा	शासकीय कमलादेवी कन्या	अनारक्षित
	द्वारा श्री एन.पी. शर्मा, बाजार चौक, भिलाई – 3	महाविद्यालय, राजनांदगांव,	महिला
	दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन कोड-490021	जिला-राजनांदगांव	
13	रोहित कुमार बरगाह	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी	अनारक्षित
:#-	द्वार डॉ. एन.के.सिंह, एमआईजी डी-21, पारिजात	महाविद्यालय, सीतापुर,	
	एक्सटेंशन, नेहरूनगर, बिलासपुर, छ०ग०, पि495001	जिला–सरगुजा	
14	पंकज सांनी	शासकीय दानवीर तुलाराम	अनारिक्षन
(4)	एफ-पॉकेंट, ४-ए, मरोदा सेक्टर, भिलाई, दुर्ग,छत्तीसगढ़	महाविद्यालय उतर्इ, जिला-दुर्ग।	
5.	हरिशंकर देवांगन	शासकीय रानी दुर्गावती	अनारक्षित
	द्वारा श्री अमरनाथ देवांगन, पुरानी बस्ती गांधी भवन के	महाविद्यालय, वाड्रफनगर,	
!	पास अकल्तरा, जिला–जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़	जिला-बलरामपुर	
	,पिन कोड-495552		
6	श्रीमली प्रियंका तिवारी	शासकीय महाविद्यालय, तमनार,	अनारिक्षत
1	द्वारः औ ुजन तिवारी, फ्लैट नं. 554, जीएच-13,	जिला-रायगढ़	महिला
	पश्चिम दिवार, नई दिल्ली, पिन कोड-110087		
7	सुरेग कुन्य एटेल	शासकीय महाविद्यालय, आरा,	अनारक्षित
	द्वारा चन्द्र तकाश यादव, 12/121-इन्दिरा नगर,	जिला-जशपुर नगर	
	लखनऊ, उत्तर प्रदेश		
	अरूणा सार्	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा,	अनारक्षित
27	एचआईर्जी-[/1:50, बोरसी कालोनी (ओल्ड) जिला-दुर्ग,	जिला–बालोद	महिला
	70 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		I CON
	छत्तीसगढ पिन कोड-491001		1
	डॉ.(श्रीमर्तः रीता बाजपेयी,	शासकीय डॉ.ज्यासा प्रसाद सिंह	अनारिक्ष
40.00	द्वारा प्रो.१ न्इ चंद्र बाजपेयी 'शिवा'' बाजपेयी निवास,	महाविद्यालय, मुंगेली,	महिला
	सरजू बर इन आजाद नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पि०	जिला–मुंगेली	
	495001		
-	श्रीमती मधुरानी शुक्ला	शासकीय नवीन महाविद्यालय,	अनारिकः
	द्वारा श्री उदीप शुक्ला, ग्राम-तर्री, पोस्ट-पटेवा, तह-	गोवरा नवापारा,	महिला
	अभनपुर, जेला—रायपुर, छत्तीरागढ़, पि.कोड—493885	जिला-रायपुर	l movin
`		191011 (1931	निरंतर

Rasayan Sh.

Alway 12/1/12

	//3,	//	
- 11	केन निश्चा		
21	द्वारा श्री पा एन मिश्रा, सक्षात्र नगर व्यापन	Winds B	
	द्वारा श्री पीएन.मिश्रा. चक्रधर नगर. बंगलापाग, रायगद्व छत्तीसगढ. पिन कोड-496001	मामानी । किमोनीमान स्माणनार्थ	अन्यपतिक
	वर्ष रिव क्यारं बजारे	A 15 25 CM	वाविकार
22	ग्राम-भीखमपुर, पोस्ट-बदनारा, तहसीख-नवागव,	Property of the same of the sa	
	रिंगला-दुर्ग छत्तीसगढ़, पिन कोड-491340	मानाकीय गुंजापुर मक्षाविद्यालया कोणजानाम्	अनारामाल
	नीरज रस्तोगी	31 9	
0	करण जाग गाम गाम गाम गाम गाम	ितना-कोप्रवासाव	
	इति तय राम रस्तोशी, मन 538 के / 1592, तिवेशी नगर	मामानीय इतेम्बरी स्नालकोत्तव	अनाराश्चार
	111 THE THE PARTY OF THE PARTY	ा व श्रीवादा	
V	वित्रसूद्रन (मन्त्र)	िरना- रनेनाना	
	रीयक लॉज कमरा सडी-12 बीएनआर रोड बोधरी	मासनीय इंदावली मलाविधालय	अनगरामित
	टाला महन्द्र ५८ना बहार पिन कोड- कार्यान	मोप लग्न्टनम	
5	इति पोमली दुगी नेमा	विन्या-बीरमापुर	
	172 भार्यनगर, दुर्ग, छत्तीसगढ, पिन कोड-491001	मासकीय महाविद्यालया, वमध्या,	अनारसित
76	कृ वंदनः राठौर	जिला-दुर्ग।	<i>पातिला</i>
	देवनदन नगर फंस-1, वार्ड न.42 म.न 953 चौटीडीह.	भारमकीय डॉ इन्द्रजील सिंह	अनारक्षिल
	सीपत रोड. बिलासपुर. छत्तीसगढ़ पिठकोड ४९५००६	महाविद्यालय प्रकल्तरा	महिला
77	कमलेश्वर ति वारी	जिला-जाजगीर	
	ी-12/3 पे.एसी लाइन ऑल्ड केंन्ट, तेलीयारगंज	शामकीय भहीत वर्कट गव	अनारकित .
	इलाहबाद उत्तर प्रदेश पिन कोड-211004	सहातियात्मय बीजापुर रित्या-बीजापुर	
	राजेश कुमार सोनकर	रामकीय जान क्रिन्च विह	अति वर्ग
	रामसारारणरा आमातातागा रोड पं आवार्ड पुलिस वाले	-वार्तिमानम् अलागत्	34.74.47
	का यकान धमतारी छत्तीसगढ़ पिन कोड-४९३७७३	ोजा-काकर	
c c	लेमचंद देवांग-र	ग्रासकीय महाविद्यालय, सनावल,	अ वि वर्ग
3.	152/1 छल्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सङ्दू रायपुर	जिला-बलरामपुर	
	वालीसगढ पिन कोड-492007		
		गासकीय बहाविद्यालय, भानपुरी	अ पि वर्ग
0	डॉ राजमणि पटेल	ोजा-बस्तर	
	3 मी सडक-४ संक्टा-व भिलई जिला-उर्ग		
	खल्तीसगढ़ पिन कोड-490009	रास महावि करतला.	अस्पि उत्तर
7	्योति राठौर	ज्ञा-कारबा	मान्त्राल
	(भा आई जी 11 / 10.7. रावेशकर शुक्त नगर नेहारिका कोरण 'जेला-कोरबा जलीसगढ देन ठांड-495677		
		रास महावि बगीचा,	अस्ति दर्ग
	डॉ युगत्व किशोर चन्द्रा	चेला-जशपुर	
	्रास्त्र योषाने मोता बन्दा ति संत्र अत्यासम्बद्धाः प्रति स्थानम् वर्षेत्र अस्थाः वो धरम् त्रवसद्		
	ति एति अस्पतान प्रतित अस्पतान स्थान स्थान । जिल्ला— रायगड छत्त्वोसगड यिन स्थान ।	र स जदमणेख्यर महावि खरीदः	अनुवार वा
		हास लावमणस्यर पद्यापः जन्मः जेला-जाजगीर	
IJ	गर्मेश राग रुवर ए मन पो - कम, पेद व्याहा-बम्हनोडाह तह-बाम्पा,	CITCH SHEET	
	ए मन पो - कमर्भेद व्याहा-बन्हनाउ : पो ना- मा बामेर- साधा छत्तीसगढ ऐन कोड-496660	शास राजकुमार धीरज सिंह	अनु जाते
	13.41-11.41.7-414	महावि उदयपुर	
14	सर्वेत क्रमार भारता	जेला-सरगुजा	
	एक समजोत्व यो अन्तर्गात्र ने काल-याज्ञ । रोजना-विज्ञासपुर कल्लेमगर्व नेव काल-याज्ञात्र		निरातर

00		I man and man Air and	V
35	3	शास. ठाकुर शोभासिंह महावि.	अनु.ज.जा.
	द्वारा श्री आर.सी.प्रधान, सिविल लाइन्स 32/2,जशपुर	पत्थलगांव,	महिला
	नगर, जिला-जशपुर नगर, छत्तीसगढ़, पिन कोड-496331	जिला-जशपुर	
36	3	शासकीय महाविद्यालय मोहला,	अनु.जाति
	क्वा. नं. ७-ए/स्ट्रीट नं. १७/ सेक्टर-4, भिलाई नगर,	जिला-राजनांदगांव	
	जिला—दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन कोड-490001		
37	3	शासकीय राजमाता विजया राजे	अनु.जाति
	सेक्टर-11, जोन-1 खुर्सीपार, सड़क नं16, क्वार्टर नं.	सिंधिया कन्या महाविद्यालय	,
	1/ई, पावर हाऊस, भिलाई, छत्तीसगढ़, पिन कोड-	(कवधा),	
	490011	जिला–कबीरधाम	
38	तंध्या पात्रे	शास. महाविद्यालय, सरगांव,	अनु.जाति
	द्वारा श्री मोहन लाल पात्रे, त्रिपुर आटो के पीछे, अय्यप्पा	जिला—मुंगेली	महिला
	मंदिर रोड, भारतीय नगर, विलासपुर, छत्तीसगढ़,पिन	3	'IIQVII
	कोड-495001		
39	श्रीमती प्रभा राज	शास. विवेकानन्द स्नातकोत्तर	257.70
	एलआईजी–233, एम.पी.नगर, घण्टाघर के पास, कोरबा	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	अनु.जाति
	जिला—कोरबा, छत्तीसगढ़, पिन कोड-495677	महावि. मनेन्द्रगढ़,	महिला
40	डॉ.अमित कुमार बावरिया	जिला-कोरिया	
40		शासकीय महाविद्यालय, खड़गवां,	अनु. जाति
	13-26 पुराना गोदरी पारा, पोस्ट करासिया,	जिला–कोरिया।	
	जिला—कोरिया, छत्तीसगढ़, पिन कोड-497553	*:	
41	कु.यशोधरा डहरिया	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीनं कन्या	अनु. जाति
	मु.पोबिल्हा, वार्ड क्र08 तहसील-बिल्हा,	महाविद्यालय जांजगीर,	महिला
10	जिला-बिलासपुर, पिन कोड-495224	जिला-जांजगीर	
42	संदीप कुमार टण्डन	शास. स्वामी आत्मानंद	अनु. जाति
	द्वारा टी.के.टण्डन (A.V.F.O) ब्लॉक कालोनी पामगढ़,	महाविद्यालय, नारायणपुर,	5874
43	जिला—जांजगीर—चांपा, छत्तीसगढ़, पिन कोड–495554	जिला-नारायणपुर।	
40	शकुन्तला राज द्वारा श्री आशा राम जगत, ग्राम—केरीबांधा, पो.—अर्जुनी, त.	क्रांती कुमार शासकीय	अनु. ज. जा.
	सम्ती, जिला—जांजगीर—चांपा, छ०ग० पिन कोड— ४९५६८९	महाविद्यालय सक्ती,	माहेला
		जिला-जांजगीर चांपा।	
4.1	यशवन्त राज महिलाने	शासकीय नवीन महाविद्यालय	अनु जाति
	ग्राम+पोस्ट-दुरूग, थाना-सरसींवा, तह-विलाईगढ़,	लयन,	
	जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड-493559	जिला- बलौदावाजार	g man or Si
45	मौसमी जाँगड़े	शासकीय माता कर्मः कन्या महावि.	अनु जाति
î	63 एकता नगर, सेक्टर-2, गुढ़ियारी, रायपुर	न्हासमुन्द,	माहेला -
į	छत्तीसगढ़, पिन कोड-492009	जिला—महासमुन्द	गाउला
!	(1970)		
46	कुन्दन भट्ट	रासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया	अनु जाति
1	एच/70 सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर, उत्तीत्तगढ़	त्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा,	महिला
i	पिन कोड-492001	।जेला-कोरबा	
47	मनोज कुमार जाँगई	रःसकीय सुखराम नागे महावि.,	21= =10
	गाम-ओड़काकन. पोस्ट-पण्डीवाली, थाना-सरसेवां,	नगरी—सिहावा,	अनु जाति
	1/5//		
	तह-बिलाईगढ़, जिला-रायपुर, छ०र.०,पिन कोड- ४९३५५९	ानेला—धमतरी	

यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

निरंतः ... इ

Rasa, an Sh.

- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना
- नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
- पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं
- छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे। आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी / गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही, भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये तभी आवश्यक दस्तावेज / रिकार्ड एवं जानकारियों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानदीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
- शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तनान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
- 8. नियुक्त अन्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेदा (सेवा की सामान्य शतें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महादिद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।
- नियुक्त अभ्यार्थियों को छ०ग० सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लप् होंगें
- 10. यह नियुक्ति रूर्णतः अंनतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया ज सकेगा। 11. नियुक्त किटे गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयद्धि के भीतर
- पदस्थापना रथल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

इस आदेश में टंकण संबंधी तुटि होने पर इस विभाग को छ०ग० लोक सेवा आयोग से अभिलेख में जल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे। 2/--- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आंरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

> छत्तीसगढ़ को राज्यपील की नाम से (एस०के०चौधरी)

उपसचिव

g. #3960 /3940/2012/38-1 :: प्रतिलिपि :-

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर, दिनांक 12 /11/2012

- राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- मुख्य सचिव को अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- विशंष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- महालेखाकार, छ.ग. रायपुर। कलेक्टर, जिला-....(छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषितः।

- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर 2698/95/2010/14/चयन, दिनांक 04/09/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन रनातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसन संयपुर छ.ग.। संचालक , जनसम्पर्क, रायपुर छ०ग० की ओर अप्रेषित कर आदेशानुत्तार सूचित हैं कि इसे प्रमुख संमाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/आंबेकापुर। (10) क़ी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.....की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किंद जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण उत्रों / अनाणी आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिन -2 के अनुसार शपधपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

(12) संविध्त जिला कोष्रोलय अधिकारी, जिला-एवं अरे संविध्त कार्यवाही हेतु अग्रेषित। (14) आवंश फाल्डर/

छत्तीसगढ़ शःसन, उच्च हेस विभागः

Rasavan Sh.

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

ः आदेश ः

नया रायपुर, दिनांक 20/09/2017

क्रमांक एफ 1-30/2017/38-1 ः राज्य शासन, एतदृद्वारा, छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1263/22/ चयन/17/G दिनांक 31.8.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100+ ग्रंड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	लाली शर्मा आ. श्री घनश्याम शर्मा, बगीचा के पीछे, सड़क नं. 4 शिक्षक नगर दुर्ग छ.ग. 491001		UR-F
2	श्री आशीष कौशिक आ श्री नरेश कुमार कौशिक,उमेश किराना दुकान के पास,बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर,अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	UR
3	श्री गौरव शर्मा आश्री जगदीश प्रसाद शर्मा, c/o श्री बिसहत राम सिन्हा चोपड़ा पैलेस के पीछे जोन क. 03 सड़क नं. 07 न्यू आदर्श नगर दुर्ग छ.ग. 491001		UR
4	श्री रोहन अग्रवाल आ. श्री राजेंद्र अग्रवाल, आशियाना एच क.335 रामदयाल शर्मा कालोनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा जिला— बलौदाबाजार छ.ग. 4931118	सिमगा,जिला–बलौदाबाजार	UR
5	विनीता जडाला पति श्री जड़ाला शंकरा स्वामी, जेठानी स्टोर्स सदर बाजार चांपा,जिला– जांजगीर चांपा छ.ग. 495671	जांजगीर–चांपा	
6	श्री रेणु कुमार यादव आ. स्व श्री बेदुराम यादव, भारतीयम मून लाईट स्कूल के पास गोरखा कालोनी के पीछे न्यू शांतिनगर रायपुर छ.ग. 492001	महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा कोहका	OBC /UR
7	श्री आशुतोष कौशिक आ. श्री नरेश कुमार कौशिक, उमेश किराना दुकान के पास बिलासपुर रोड,लक्ष्मीपुर,अंबिकापुर छ.ग. 497001	महाविद्यालय, अग्बिकापुर	
8	श्री अनुज कुमार चौरसिया आ श्री राधेश्याम चौरसिया, (व्याख्याता) शास.आ.रा.उ.मा.वि. बैकुण्टपुर, जिला – कोरिया छ.ग. ४९७७३३५		OBC /UR
9	श्रीमती संध्या प्रसाद पति श्री बृजेश प्रसाद, क्वा. नं. ई/3 धरमपुरा नं. 3 जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	UR-F

- पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- 5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अविध में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी / गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज / रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापित्त प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपिथत होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
- 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
- नियुक्त अभ्यर्थियों को छ०ग० सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
- 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंनितम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
- 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयाविध के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (दुर्गा देवांगन) अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned by TapScanner

Gr-6

-	0.0		
5	श्री शिवराम सिंह श्याम आ. श्री छटऊसिंह श्याम,	शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई	ST
	एलआइणा ११३० सक्टर-7 हाउसिंग बोर्ड कालोनी	जिला–कबीरधाम	
-0	सड्डू रायपुर छ.ग. ४९२००७		
6	श्री समीर जायसवाल आ श्री डी.पी.जायसवाल, म.	शासकीय महाविद्यालय, बोरी,	OBC
	न. ४ए सड़क-72 सेक्टर-6 भिलाई नगर	जिला–दुर्ग	
	जिला-दुर्ग छ.ग. ४९०००६		
57	मल्लिका वैश्य आ श्री ध्यानचंद वैश्य, वार्ड-13 रेल्वे	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान	SC-F
	फाटक के पास चर्च गली जे.के.डी.पोस्ट मनेन्द्रगढ	जिला –सूरजपुर	
	जिला-कोरिया छ ग. ४९७४४२		
58	श्री रमेश कुमार मौर्य आ.श्री मिठठूलाल मौर्य,	शासकीय इंजीनियर विश्वेसरैया	OBC
	रामगढ़ रोड ग्राम पो. थाना- उदयपुर, जिला	स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	
	सरगुजा छ.ग. ४९७७ १७७		
59		शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल	ST-F
	अधीक्षिका, आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या	महाविद्यालय धरसीवा	
	छात्रावास,कालीबाडी रायपुर छ.ग. ४९२००१		
60	श्रीमती रश्मि यादव पति श्री राजेश यादव, ओ.पी.	शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर	OBC-F
	जिंदल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी क्वा.नं.एफ-9	महाविद्यालय, रायगढ़	
	खरसिया रोड रायगढ़ छ.ग.४९६००१	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	10
61	श्री शरद कुमार देवांगन आ. श्री रामलाल देवांगन,	शास.भवर सिंह पोर्ते महा.पेण्ड्रा,	OBC
	जीन्स हाउस नागोराव शेष स्कूल के पास जूना	जिला- बिलासपुर	
	बिलासपुर छ.ग. 495001		
62	श्रीमती राजेश्वरी सोनी पति श्री घनश्याम सोनी, बी.	शास.महा.प्रभू वल्लभाचार्य पी.जी.	OBC-F
	टी.आई.रोड महासमुंद छ.ग. ४९३४४५	महा.महासमुंद	
63	श्री संजय कुमार देवांगन आ. श्री फत्तुराम ग्राम	शास.दिग्वीजय पीजी महा.	OBC
	डुड़िया, पो. अर्जुन्दा तह.गुण्डरदेही,जिला-बालोद	राजनांदगांव	
	छ.ग. 491225		
64	श्री मोहन लाल वर्मा आ.श्री. गैंदराम वर्मा,	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे	OBC
	51/1221 मजार के पास,सुभाष नगर कुकरीपारा,	महाविद्यालय, कुनकुरी, जिला-	
	महामाया मंदिर वार्ड, रायपुर छ.ग. ४९२००१	जशपुर	
65	6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़,	SC
	व्यापार विहार रोड, तालापारा बिलासपुर छ.ग.	जिला- जांजगीर-चांपा	
	495001		
66	श्री जीवन राम सोरी आ श्री तुकाराम सोरी, ए-5	शासकीय ठाकुर शोभासिंह	ST
	केपीटल सिटी फेस-1 विधानसभा रोड सड्ड्		-
	रायपुर छ.ग. 492014	जशपुर	
67	1 0 0		, OBC
	एमआईजी- 2/12 मीनाक्षी नगर बोरसी रोड दुर्ग		
1	1 10112011 2/12 11 11411 114	No. (1) [1] [1] C.	1.0

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- 2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

 नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के गेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

fr

Ge-

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1–16/2017/38–1 ः राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1013/22/चयन/17/M दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600—39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/— में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

5 .	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
	श्री अजय मिश्रा आ श्री राकेश मिश्रा, गांधी चीक बलौदावाजार छ.ग. 493332	शासकीय नवीन महाविद्यालय, लवन	UR
2	श्री विजय कुमार कांटे आ.श्री सौदागार कांटे, ग्राम.—बेगीनडीह पो.करनपाली, थाना बरमकेला, रायगढ़ छ.ग. ४९६५५१		SC/ UR
3	श्री संतोष कुमार अग्रवाल आ.स्व. श्री प्रेमचंद अग्रवाल,मां बमलेश्वरी सर्विस सेंटर अकलतरा रोड, जांजजीर छ.ग. 495668	बेरला	UR
4	ममता पटेल पति श्री भुवन लाल पटेल, बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत वालविकास परियोजना धरसीवा–।। जिला–रायपुर छ.ग. ४९३२२१	कन्या महाविद्यालय, रायपुर	OBC/ UR-F
5	श्वेता श्रीवास्तव आ.श्री आर डी श्रीवास्तव, अधिवक्ता गायत्री मंदिर चौक विद्यानगर,विलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	UR-F
6	श्रीमती रेखा कश्यप पति श्री शरद कश्यप, वृहस्पति वाजार गार्ग तिलक नगर, विलासपुर छ. ग. 495001	शासकीय ठाकुर छेदीलाल रनातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	OBC/ UR-F
7	रवप्ना मिश्रा आ. श्री के.एन.मिश्रा बी45 रवर्ण जयंतीनगर रिंग रोड-2 विलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	UR-F
8	अर्चना पांडे पति श्री संजय पांडे एच-1/50 नर्मदा नगर बिलासपुर छ.ग. ४९५००१	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	UR-F
9	श्री चन्द्रकांत गवर्ना पिता श्री मोतीलाल गवर्ना, ग्राम.पो.कोरर तह भानुप्रतापपुर, जिला—कांकेर छ. ग. ४९४६७०	शासकीय दन्तेश्वरी रनातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	ST/ UR

MM AM NAIN AIN AIN Seanner Seanner

10	डॉ पार्वती पटेल पति श्री जितेन्द्र पटेल कपीलनगर साहू किराना रटोर के पास नया सरकंडा,बिलासपुर छ.ग. 495001		OBC/UR-F
11	श्री आशीष कुमार राजपाल आ. श्री राजकुमार राजपाल,गंजपीछे दुर्गा मंदिर के पास खरसिया जिला रायगढ़ छ.ग. 496661	जिला जशपुर	UR
12	श्री जीबोन कुमार पाल आ.श्री अमृता कुमार पाल, ग्राम—नाबाग्राम पो.—कुरूलिया, थाना—बुरवान, जिला मुरसीदाबाद पश्चिमबंगाल 742132		
13	हफीजूर्रहमान खान आ. श्री इबादुररहमान 05 पी. डी. टंडन हॉस्टल केसरबाग, लखनऊ उ.प्र. 226001	I.	ł.
14	श्री वेदप्रकाश दुबे आ.श्री हरिराम दुबे, म.नं.104 प्रिया इन्कलेव रोड.नं.9 स्नेहापुरी कालोनी नाचाराम जिला के.वी.रंगारेडी नगर हैदराबाद तेलंगाना 500076	दन्तेवाड़ा	
15	श्वेता अग्निवंशी आ. स्व श्री शरत् अंग्निवंशी, एमआईजी—12 सेक्टर1 शंकर नगर रायपुर छ.ग. 492001	कन्या महाविद्यालय, रायपुर	UR-F
16	श्री हरेन्द्र कुमार चौहान आ.श्री रामरक्षा चौहान, ग्राम व पो— लवकनी थाना—गौरीबाजार, जिला— देवरिया उ.प्र. 274202	बगीचा	UR
17	श्री द्वारिका प्रसाद कोरी आ.स्व.श्री मंगल प्रसाद कोरी, मु.पो.—रानीगांव,व्हाया रतनपुर जिला— बिलासपुर छ.ग.४९५४४	विश्रामपुर	SC/ UR
18	अल्का मिश्रा पति श्री अनुपम मिश्रा, शंकर विद्या मंदिर के पास तलवार भवन, सुभाष नगर दुर्ग छ. ग. 491001	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर पी.जी. कला–विज्ञान महा., दुर्ग	UR-F
19	श्री अभिषेक कुमार मिश्रा आ. श्री शतीश कुमार मिश्रा, कक्ष क. 248 मोतीमहल हॉस्टल, केडी सिंग बाबु स्टेडियम के पास, राणा प्रताप मार्ग हजरतगंज, लखनऊ उ.प्र.226001	महाविद्यालय, चारामा	UR
20	कल्पना वटटी आ.श्री बी.आर. वटटी, कृषि विज्ञान केन्द्र बोईरदादर, जिला रायगढ़ छ.ग.४96001	स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	ST/ UR-F
21	रेणु कुजूर आ.अन्थोनी कुजूर,क्वा नं. 739 अशोक विहार कॉलोनी वार्ड नं.6 घीमरापुर चौक रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय महाविद्यालय, घरघोड़ा	ST/ UR-F-O
22	इनफान अली आ.मुमताज अली, ग्राम रामावली, पो.चहानिया,जिला— चंदौली उ.प्र. 232109	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	UR
23	अरूणिमा दत्ता बनिक पति श्री रामेन्द्रनाथ दत्ता,क्वा.नं. 104,ब्लाक ए बी राय रेसीडेन्सी अभय कार्बन फेक्टी के पास शिवपुरी रोड नं. 1 पटना,बिहार 800023	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़	UR-F-O

24	रेणुका ठाकुर आ.श्री मानसिंह ठाकुर आ०क. 242		
	गली नं ६ दीपकनगर दुर्ग छ.ग. ४९१००१	शासकीय डॉ. बाबा साहेब ST/1 भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव	UR-F-O
25	पल्लवी सिन्हा पति श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा , 68 सी स्टेनली रोड, मुमफोर्डगंज इलाहाबाद उ.प्र. 211002		F-O
26	सहायक कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट भवन गांधी चौक के पास बिलासपुर छ.ग. ४९५००१	महाविद्यालय, बकावंड जिला बस्तर	UR
27	श्री आशीष कुमार मिश्रा आ.श्री राम कृष्ण मिश्रा, 42/1गंगोत्री नगर, दाण्डी,नैनी, इलाहाबाद उ.प्र. 211008	शासकीय लाल कालिन्द UR सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़	
28	जे.पी.तिवारी श्रीकांत वर्मा मार्ग पुष्पराज स्कूल के पास वैशालीनगर, बिलासपर 495001	सिंह महाविद्यालय, मुंगेली	-0
29	प्रियका सोनवानी आ. श्री. हंसाराम सोनवानी, वार्ड नं.–3 गुड सेफर्ड स्कूल के पास तुमगांव रोड अयोध्या नगर महासमुंद 493445	महाविद्यालय, फिंगेश्वर	R-F-O
30		शासकीय वीरांगना अवन्ती SC-F बाई महाविद्यालय, छुईखदान	
31	भरतुरा, जिला-बिलासपुर छ.ग.४९५५५०	मनेन्द्रगढ़	
32	श्री रेमन कुमार भागर्व आ.श्री श्यामलाल भागव,राजीव गांधी नगर भजन स्तंभ के पास पो. आ.जुटभिल रायगढ़ छ.ग.४९६००१	शासकीय संत गहिरा गुरू SC रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	
33	ाणुर, ग्राम-पुतरवाहा, पा चिखलाकसा,तह.	शासकीय लाल श्याम शाह ST महाविद्यालय, मानपुर, राजनांदगांव	
34/	श्रीमती कविता ठाकुर पति डॉ हंसराज उ ठाकुर,सहारा निवास प्लाट नं. 40/2 वार्ड 21 सिवाजीनगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय महाविद्यालय, बोरी ST-F जेला दुर्ग	

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- 2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसकें लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

 नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

M-3

- 4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- 5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
- 6. शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापित्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 - 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय—समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 - नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 - 10. यह नियुवित पूर्णतः अंनितम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेंगा।
 - 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयाविध के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 - 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी तुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (दुर्गा देवांगन) (अवर सचिव जित्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

M-4

- ।तालाप :-(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
 - (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
 - (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 - (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
 - (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
 - (9) सिचव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1013/22/चयन/17/M दिनाक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 - (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
 - (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
 - (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।

 - (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग :: मंत्रालय ::

नया रायपुर – – 0 – –

ः आदेश ःः

पंजीवत उग्व से.

963

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक /3558/2012/38-1 ः राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2233/95/2010/07/चयन, दिनांक 25.09.2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड 15600—39100 + ग्रेड वेतन 6000/- में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-

3 7.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमाव
Ф.	व्यवहार का पता		
1	2	3	4
1	भूमिका रार्मा	शासकीय स्व.राजा वीरेन्द्र	अनारक्षित
	द्वारा श्री अरूण कोसे	बहादुर सिंह महाविद्यालय,	महिला.
	वार्ड.नं. 11, डबरा पारा	सरांयपाली, जिला-	
	बागबाहरा, जिला–महासमुद	महासमुंद .	
	छत्तीसगढ़, पिन कौंड-493449		
2	रोहित कुमार राय	शासकीय विवेकानंद	अनारक्षित
	द्वारा डॉ. ताराचन्द छात्रावास	रनातकोत्तर महाविद्यालय,	
	इलाहाबाद विश्वविद्यालय,	मनेन्द्रगढ, जिला-कोरिया	
	इलाहाबाद		
	उत्तर प्रदेश		
	पिन कोड-211002		
3	दिनेश कुमार देवांगन	शासकीय महाविद्यालय,	अनारक्षित
	कसेर पारा, उत्तर चक्रधर नगर,	घरघोड़ा, जिला-	
	रायगढ़	रायगढ़	
	छत्तीसगढ़, पिन कोड-496001		
4	संगीता झा	शासकीय राजीव लोचन	अनारक्षित
	पानी टंकी के पास, लाखेनगर	महाविद्यालय, राजिम,	महिला
	(गौतम नगर), रायपुर	जिला-	
	छत्तीसगढ़ .	गरियाबंद	•
•	पिन कोड-492013	0	अनारक्षित
5	सुधीर कुमार सिंह	शासकीय स्वामी आत्मानंद	अनारावात
	4/29 डॉ.तारा चन्द्र छात्रावास,	महाजिद्यालय, नारायणपुर,	
	इ.वि.वि.इलाहाबाद	जिला-	
	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	नारायणपुर	(96)
	पिन कोड-211002		

24 12 /12 12.

क्रमश. 2

31. T		पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमा
1	व्यवहार का पता	2	
6	मुकेश कुमार पाण्डेय कमरा नं 20, ब्वायज हास्टल, गो ब पत सामाजिक विज्ञान संस्थान, झूँसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	जिला-	अनारक्षित
7	सुधीर कुमार सिंह 114/28 शिवकुटी तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड–211004	शासकीय वीर गैंद सिंह महाविद्यालय, पखांजुर, जिला–कांकेर	अनारक्षित,
В	अर्चेना सेठी द्वारा श्री सुनील सेठी, देवागन मार्ग, चापा, जिला-जाजगीर चापा, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495671	शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती, जिला– जाजगीर	अनारक्षित, महिला
9	रिश्म पाण्डेय द्वारा श्री सी.एम.पाण्डेय वार्ड न-7, नार्थअगराखण्ड, जिला-कोरिया छत्तीसंगढ पिन कोड- 490006	शासकीय महाविद्यान्त्यः, शकरगढः, जिला– बलरामपुर	अनारक्षित, महिला
10	सारा किरण कुजूर द्वारा श्री रेमिस कुजूर एलआईजी 110, पंरविशंकर शुक्त कॉलोनी, कोरबा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ पिन कोड-493332	शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातको महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार	अनारक्षित, महिला
,,	बृजेन्द्र कुमार शुक्ला कमरा सख्या-57 सान्दीपनी छात्रावास (बी-ब्लाक) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश पिन कोड-456010	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालयः, वाङ्गफनगरः, जिला–बलरामपुर	अना रक्षितः
2	श्रीमती सन्तू पाण्डेय द्वारा श्रीमती मन्त्रू तिवारी आवस क्रमाक ए-11 गणेश चौक नेहरू नबर पो बिलासपुर छत्तीसगढ़ पेन कोड-495001	शासकीय निरंजन केशरवानी महावि कोटा जिला-बिलासपुर	प्रनारक्षित महिला
	राम प्रसाद चन्द्रा सकोली खुदं पोस्ट-जर्व, जिला-जाजगीर धापा छत्तीसगढ़ पिन कोड-495887	शासकीय कालीदास महावि 3 प्रतापपुर जिला–सूरजपुर	ग्नारक्षित



37.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमाव
Φ.	व्यवहार का पता		
1	2	3	4
14	श्रीमती उमा नन्दिनी जायसवाल घनश्याम इन्टर प्राइजेस, आनन्द काम्प्लेक्स, मंझली तालाब, स्टेश रोड चाम्पा जिला—जांजगीर—चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोडै-495671	शासकीय महाविद्यालय, मालखरौदा, जिला-जांजगीर चांपा	अनारक्षित, महिला
15	भागवत प्रसाद साहू ग्रा+पोजर्वे, व्हाया-बाराद्वार तह-सक्ती, जिला-जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड-495687	शासकीय राजीवै गांधी महाविद्यालय, सिमगा, जिला– बलौदा बाजार	अनारक्षित,
16	मुकेश चक्रघर द्वारा श्री बी.पी.चक्रघर सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, पेंशनबाड़ा, रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड-492001	शासकीय इंदिरागांधी महाविद्यालय पंडरिया, जिला–कबीरधाम	अनारक्षित,
17	अंशुमाला चंदनगर द्वारा स्व.श्री भाऊ राम साहू एच.नं. 962, श्याम नगर रायपुर, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड–492006	शासकीय शहीद वीर नारायण महाविद्यज्ञलय, बिलाईगढ़, जिला– बलौदा बाजार	अनारक्षित महिला
18	जितेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा विनय प्रोविजन स्टोर्स मोवा, विधान सभा रोड, मोवा, पोस्ट-सडडु, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड-492007	शासकीय कचना धुरवा भहाविद्या लय, छुरा, जिला–गरियाबंद	अ.पि.वर्ग
19	सुनील कुमार कुमेटी पी. जी. पी. एम. टी. बालक, छात्रावास, एच.आई. जी. – 81 सेक्टर – 01, प. दीन दयाल उपाध्याय नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड – 4952010	महाविद्यालय, किरन्दुल, जिला–दंतेवाड़ा	अ. ज. जा.
200	हंसराज ठाकुर पी.जी.पी.एम.टी.बालक, छात्रावास, एच.आई.जी.–70 सेक्टर–01, पं.दीन दयाल उपाध्याय नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड– 4952010	शासकीय स्व. श्री महली भगत महाविद्यालय, कुसमी, जिला–बलरामपुर	र. ज. जा.
21	रचना कौशिक द्वारा कुलदीप शर्मा, धर्माजी नागदोने कॉलोनी व्यापार विहार रोड, बिलासपुर जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ पिन कोड–495001		म.पि.वर्ग महिला

.....

I'm the good by a con-

and the street stage and the

chu/n/n/n

क्रमश 4

37.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार
Ф.	व्यवहार का पता		
1	2	3	4
22	कुसूम चन्द्राकर	शासकीय बद्री प्रसाद	अ.पि.वर्ग
	द्वारा श्री एस.के.चन्द्राकर	महाविद्यालय, आरंग	महिला
	डी-40, सेक्टर-01, टैगोर नगर,	जिला-रायपुर	,,,,,,,
- 1	रायपुर जिला-रायपुर		
	छत्तीसगढ		
	पिन कोड-492001		
23	भूमिराज पटेल	शासकीय महर्षि वाल्मीकी	अ.पि.वर्र
	द्वारा बी.बरिहा, मकान नं. 511,	महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर,	
	मिलेनियम चौक, सुन्दरनगर, रायपुर,	जिला–कबीरधाम	
	छत्तीसगढ		
	पिन कोड-493558		
24	रवीन्द्र सिंह चंद्रवंशी	शासकीय लाल कलिन्द सिंह	अनु. जाति
	द्वारा हेमंत उइके	महाविद्यालय, अंतागढ़,	
	वार्ड मेम्बर-यासीन करानी के घर	जिला-कांकेर	1.0
	के पास, संजय नगर, कांकेर,		
	जिला–कांकेर छत्तीसगढ		
	पिन कोड- 494334		
25	विनोद कुमार कोमा	शासकीय कंगला माझी	277
23	पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर	महाविद्यालय, डाँडी,	अनु. जनजाति
	सेक्टर,-01, एचआईजी-81, रायपुर,	जिला–बालोद	07.7077(7
	जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	1010111 410114	!
	पिन कोड-492010		
26	रजनी सारथी	शासकीय राजकुमार धीरज	अनु. जाति
	वीर सावरकर वार्ड क्रमांक-4,	सिंह महाविद्यालय, उदयपुर,	महिला
	गांधीनगर, अंबिकापुर सरगुजा,		
	जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन		
	कोड- 497001	mu An ar mais and	अनु.जाति
27		शासकीय राजमहंत नयन दास महिलांग	3/3.0////
	सारखी रोड़, अभनपुर, पो.ओ.—अभनपुर, जिला—रायपुर,	1 22	
	छत्तीसगढ	महाविद्यालय, भटगांव जिला–	
	पिन कोड-493661	बलौदाबाजार	
		शासकीय कुंजबिहारी चौबे	अनु.जाति
28	हेमलता ग्राम+पोस्ट-बेलमाण्ड	महाविद्यालय, लालबहादुरनगर,	महिला
	तहसील-बालोद,	जिला–धमतरी	
	जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़,		
	पिन कोड-491226		
29	I	शासकीय एकलव्य	अनु. जाति
	ग्राम-काशीटोला, पो. व	महाविद्यालय, डौंडीलोहारा, जिला–बालोद	
	थाना-गंडई, तह-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ	70/01/-4/014	
	पिन कोड-491838		
30	A :	शासकीय नवीन	अनु.
30	द्वारा डॉ.एन.कुजूर, म.नं. एल-4	महाविद्यालय, तपकरा,	जनजाति
	शिक्षक आवास, पं.रविशंकर शुक्ल	जिला–जशपुर	
	विश्विद्यालय परिसर		
	रायपुर, जिला—रायपुर छत्तीसगढ, पिन कोड—492010		
	B((1)(1), 197 4718-432010		

31. To.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमाक
1	2	3	4
31	अनुराधा तिकीं द्वारा श्री प्लादियुस तिकीं (एच.एम) शासकीय प्रा.शा.बेडिहार पारा, पोस्ट-कोसीर (बड़ा) तह-सारंगढ, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़	शासकीय महाविद्यालय, भैसमा, जिला-कोरबा	अनु. जनजाति महिला
32	पिन कोड-496460 बी.अभय कुमार राठौर द्वारा श्री बी.एम.एस.राठौर पंचशील नगर, इस्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, एच.नं. 492/20, ज्योति स्कुल के पास, बीएमवाई चरौदा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ, पिन कोड-490025	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी, जिला–जशपुर	अनारक्षित, विकलांग
33	प्रेमलता एक्का, द्वारा श्री एल.एन.अग्रवाल बी.एस.एन.एल, आफिस, बाबूपारा, जेल रोडद्व अंबिकापुर, जिला–सरगुजा छत्तीसगढ़, पिन कोड–497001	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातको. महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा	अ.ज.जा. महिला

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (!Provisionai) है।

2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी / गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही, भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज / रिकार्ड एवं जानकारियों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा। क्रमश...6

Scanned by TapSca

शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक

सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ०ग० सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना सथल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ०ग० लोक सेवा आयोग सं

प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसम् (एस०कें)

उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर, दिनांक / 2 / 11/2012

पु. क्रमांक /3558/2012/38-1

प्रतिलिपि :--(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।

(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।

- (3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (4) विशेष सहायक, मानःमंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (६) कलेक्टर, जिला-.....(छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र कमांक 2233/95/2010/07/चयन, दिनांक 25.09.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर,

रायपुर छ.ग.।

- (9) संचालक ,जनसम्पर्क, रायपुर छ०ग० की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (10) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
- (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर। की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला— (14) संबंधि '''हैं के किए किए की किए की की की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(15) आदेश फोल्डर।

उपसचिष

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्य पृतेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोषाल, 'दिना'क 6 Al' (र 1987

क्यांक एकं 1/53 /87/ए-1/38 - मध्यमुदेश तद्यी निमुचितयों को नियमितिकरण निर्मा निर्मान के झापन कृतांक एक-ए-६-30-86-एम है। है दबारा मुक्क राज्यत्र हुअताधारण है में प्रकाशित अधित्वना दिनांक 5/६/६६ में प्रदात अधिकारों का उपयोग करते हुए तद्यी स्व ते कार्यरत निम्नितिखत तदायक प्राध्यापक को स्थानापन स्व से आंगामी आदेश तक अंगिति हिम्मितिखत तदायक प्राध्यापक प्राध्यापक पद पर मध्यमुदेश शिक्षकिक तेला है महाचिद्यालयीन शाखा है में स्व ७००-५०-१100-50-1300-अतेकोन्ट-50-1600 के बेतनमान में उनके नाम के समध अंकित महाचिद्यालय

में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

<u>प्रत्याशी सर्व पिता /पति का नाम</u>	<u>जन्म तिधि</u>	महाविद्यालय जहाँ पदां कित किया जाता है
साठ 26. श्री तापस मुखर्जी आत्मज श्री एन०सीठ मुखर्जी	10-12- 1960	शासकीय महाविद्यालय, भिनाई-ड
। शासकीय महा विधालय, भिलाई -i ठ		

²⁻ उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पार जाने की प्रत्यामा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व शूचना के समाप्त की जा सकेगी।

³⁻ उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इत आदेश की तारी ख ते ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे एखा जाएगा जिस्का जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व मुतंगत भरती नियमों के अनुसार/किए गए हैं।

- 4- यह नियुक्ति किसी भी और से एक माह का नी टित अथवा उतके एवज में एक माह का पेतन दिया जाकर तमाप्त की जा सकेगी ।
- 5- षद का नाम तथा वेतनमान शासन द्यारा किसी भी समय धुनरी दिखा किया जा सकता है।
- 6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इत आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर रनातकोत्तर उपाधि है मास्टर्स डिग़ी है के बाद की मान्यसा प्राप्त उपाधि है पदि वर्तकान में ऐती उपाधि उनके पास नहीं है है प्राप्त करनी होगी, अन्यया उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
- 7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी पानधानों का ध्यान रखा गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुतार,

रूँ जीवनी वर्गतवारी है उप त्याब,

मध्यादेश शासन, उच्य शिक्षा विभाग.

ष्ठ क्यांक एक ।/33 /87/ए-।/38, मोयाल, दिनांक े कि विश्व 1987. प्रतिलिपि:-

- I- तंबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यन्देश, भोषाल हैं10 मृतियों में है
- 3- संबंधित देशीय अतिरिक्त संचालक, महा विद्यालयीन जिल्ला.
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यायक की और । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-यत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5- सचिव, मा भारत, सामान्य प्रशासन विभाग, भोषाल.
- 6- सचिब, लोक तेवा आयोग, म090 इन्दौर.

१ पी ० एत ० मरहात १ उप असर तिचन, मध्यमुदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

www.govtcollegebori.com

Email-govtcollegebori@gmail.com College Code - 1609

कमांक | 3 / अति.व्या. / 2021

बोरी दिनांक / / 2021

प्रति,

कु. विटी देवी DIO शा म्वराम साइ मा: १पी - जेका तह हुन

विषय:— शैक्षणिक सत्र 2020–21 के रिक्त सहायक प्राध्यापक / प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था संबंधी — आमंत्रण।

संदर्भ:— आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन का पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/02/2021

संदर्भित पत्र के अनुसार आपको अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य (विषय भौतित गास्त्र) के लिये आमंत्रित किया जाता है। आप दिनांक ... 22 - °2- 200 तक महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु अपनी मूल अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो, तथा यह आमंत्रण उच्च शिक्षा विभाग के दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तों के अधीन होगी—

- 1. आपके द्वारा नियमानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा (प्रारूप संलग्न)
- 2. निर्धारित तिथि तक ज्वाइन नहीं करने पर आपको अपात्र घोषित कर दिया जायेगा तथा वरीयता कम के आधार पर दूसरे आवेदनकर्ताओं को आमंत्रित किया जायेगा।
- 3. इस कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय 200/—(दो सौ रू. मात्र) देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अतिथि को एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पिरियेड ले सकेंगें। इस प्रकार अधिकतम प्रतिदिन 800/—(आठ सौ रू. मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह 20800/—(बीस हजार आठ सौ रू. मात्र) का भुगतान किया जा सकेंगा। दिवस व माह में अध्यापन कार्य का आनुपातिक उपस्थिति के आधार पर मानदेय देय होगा।
- 4. विषय में नियमित सहायक प्राध्यापक के स्थानांतरण होने या लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होने पर आपका यह आमंत्रण निरस्त माना जायेगा।
- 5. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेगें और वे "लोक सेवक" की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- 6. चयनित अतिथि व्याख्याता से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के अनुशासन एवं नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगें। पालन न करने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. अम्बिस्यार विश्वकर्मा) शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी जिला -दुर्ग (छ.न.)

www.govtcollegebori.com Email-govtcollegebori@gmail.com College Code - 1609

क्मांक 14 / अति.व्या. / 2021

बोरी दिनांक / /2021

प्रति,

कु. डॉली देवांशन DIO मा द्वान देवांशन जीतवन चांक, जंगा पारा इग

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2020–21 के रिक्त सहायक प्राध्यापक / प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था संबंधी – आमंत्रण।

संदर्भ:- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन का पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/02/2021

संदर्भित पत्र के अनुसार आपको अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य (विषय......................) के लिये आमंत्रित किया जाता है। आप दिनांक 22-02-22 क्रक महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु अपनी मूल अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो, तथा यह आमंत्रण उच्च शिक्षा विभाग के दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तों के अधीन होगी—

- 1. आपके द्वारा नियमानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा (प्रारूप संलग्न)
- 2. निर्धारित तिथि तक ज्वाइन नहीं करने पर आपको अपात्र घोषित कर दिया जायेगा तथा वरीयता कम के आधार पर दूसरे आवेदनकर्ताओं को आमंत्रित किया जायेगा।
- 3. इस कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय 200/—(दो सौ रू. मात्र) देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अतिथि को एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पिरियेड ले सकेगें। इस प्रकार अधिकतम प्रतिदिन 800/—(आठ सौ रू. मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह 20800/—(बीस हजार आठ सौ रू. मात्र) का भुगतान किया जा सकेगा। दिवस व माह में अध्यापन कार्य का आनुपातिक उपस्थिति के आधार पर मानदेय देय होगा।
- 4. विषय में नियमित सहायक प्राध्यापक के स्थानांतरण होने या लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होने पर आपका यह आमंत्रण निरस्त माना जायेगा।
- 5. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेगें और वे ''लोक सेवक'' की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत ''लोक सेवक'' नहीं माने जायेंगे।
- 6. चयनित अतिथि व्याख्याता से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के अनुशासन एवं नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगें। पालन न करने परं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. अनिद्रामार विश्वकर्मा) शासकीय नवीन महाविद्यालय रेग जिला -दुर्ग (छ.ग.)

www.govtcollegebori.com Email-govtcollegebori@gmail.com College Code - 1609

क्रमांक 15 / अति.व्या. / 2021

बोरी दिनांक / /2021

प्रति

क. उत्तान होते प्रारी पारा हमा जांक, इस ८४ मा

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2020-21 के रिक्त सहायक प्राध्यापक / प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था संबंधी — आमंत्रण।

संदर्भ:- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन का पत्र क्रमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/02/2021

संदर्भित पत्र के अनुसार आपको अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य (विषय <u>(1) (विषय प्रमाण</u>) के लिये आमंत्रित किया जाता है। आप दिनांक <u>06 - 03 - 20</u> कि महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु अपनी मूल अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो, तथा यह आमंत्रण उच्च शिक्षा विभाग के दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तों के अधीन होगी—

- 1. आपके द्वारा नियमानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा (प्रारूप संलग्न)
- 2. निर्धारित तिथि तक ज्वाइन नहीं करने पर आपको अपात्र घोषित कर दिया जायेगा तथा वरीयता कम के आधार पर दूसरे आवेदनकर्ताओं को आमंत्रित किया जायेगा।
- 3. इस कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय 200/—(दो सौ रू. मात्र) देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अतिथि को एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पिरियेड ले सकेगें। इस प्रकार अधिकतम प्रतिदिन 800/—(आठ सौ रू. मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह 20800/—(बीस हजार आठ सौ रू. मात्र) का भुगतान किया जा सकेगा। दिवस व माह में अध्यापन कार्य का आनुपातिक उपस्थिति के आधार पर मानदेय देय होगा।
- 4. विषय में नियमित सहायक प्राध्यापक के स्थानांतरण होने या लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होने पर आपका यह आमंत्रण निरस्त माना जायेगा।
- 5. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेगें और वे ''लोक सेवक'' की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत ''लोक सेवक'' नहीं माने जायेंगे।
- 6. चयनित अतिथि व्याख्याता से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के अनुशासन एवं नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगें। पालन न करने पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. अम्बिट्स क्रमूर विश्वकर्मा) शासकीय नवीन महाविद्यालय नोनी जिला -दुर्ग (छ.ग.)

www.govtcollegebori.com Email-govtcollegebori@gmail.com College Code - 1609

कमांक 16/अति.व्या./2021

बोरी दिनांक / / 2021

प्रति.

सेत स्तिटास नजार, के. स्प-2 वार-23, पावर हाउस मिलाई

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2020–21 के रिक्त सहायक प्राध्यापक / प्राध्यापक के पद पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था संबंधी – आमंत्रण।

संदर्भः— आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन का पत्र कमांक 339/निस/आउशि/2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/02/2021

संदर्भित पत्र के अनुसार आपको अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य (विषय. २२) अप्राटन के लिये आमंत्रित किया जाता है। आप दिनांक .06-03-20 प्तक महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु अपनी मूल अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो, तथा यह आमंत्रण उच्च शिक्षा विभाग के दिये गये निर्देशानुसार निम्न शर्तों के अधीन होगी—

- 1. आपके द्वारा नियमानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा (प्रारूप संलग्न)
- 2. निर्धारित तिथि तक ज्वाइन नहीं करने पर आपको अपात्र घोषित कर दिया जायेगा तथा वरीयता कम के आधार पर दूसरे आवेदनकर्ताओं को आमंत्रित किया जायेगा।
- 3. इस कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए मानदेय 200/—(दो सौ रू. मात्र) देय होगा। अतिथि व्याख्याता व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अतिथि को एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पिरियेड ले सकेगें। इस प्रकार अधिकतम प्रतिदिन 800/—(आठ सौ रू. मात्र) तथा अधिकतम प्रतिमाह 20800/—(बीस हजार आठ सौ रू. मात्र) का भुगतान किया जा सकेगा। दिवस व माह में अध्यापन कार्य का आनुपातिक उपस्थिति के आधार पर मानदेय देय होगा।
- 4. विषय में नियमित सहायक प्राध्यापक के स्थानांतरण होने या लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होने पर आपका यह आमंत्रण निरस्त माना जायेगा।
- 5. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेगें और वे "लोक सेवक" की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- 6. चयनित अतिथि व्याख्याता से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के अनुशासन एवं नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगें। पालन न करने पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(डॉ. आचर्व प्रदेशीप्र विश्वकर्मा) शासकीय नवीन महाविद्यालय बे^{.भ} जिला –दुर्ग (छ.ग.)